



मथुरा पुलिस



प्रेस नोट

दिनांक- 23 जुलाई, 2025

थाना राया, जनपद मथुरा ।

OPERATION CONVICTION

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को जेल में बितायी अवधि की सजा एवं 50/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया :-

थाना राया, जनपद मथुरा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना राया पर पंजीकृत मु०अ०सं० 687/2016 धारा 4/25 आर्मस एक्ट में आज दिनांक 23.07.2025 को मा० न्यायालय जे०एम०-05, मथुरा द्वारा उपरोक्त मुकदमा में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त गुल्लू पुत्र इस्माइल नि० मौ० व्यापारियन थाना राया, मथुरा को जेल में बितायी अवधि की सजा एवं 50/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया ।